

प्रेस नोटथाना निजामाबादफर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बनकर वाहन चालकों को धमकाकर वसूली करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना:-

वादी मुकदमा अजीत यादव पुत्र स्व0 रामचन्द्र यादव निवासी जगदीशपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 06.11.23 को वादी अपने ट्रक से गिट्टी लादकर आ रहा था कि समय करीब 4.30 बजे भोर में मुहम्मदपुर से फरिहा मार्ग पर एक व्यक्ति सड़क पर पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में गाड़ी को हाथ से रोकने का इशारा किया गाड़ी रोकने पर वादी को डराधमका कर भय में डालकर जान से मारने की धमकी देने लगा तथा गाली गलौज देते हुए 5000 हजार रुपये की मांग करने लगा वादी द्वारा भयभीत होकर 2000/ रुपये दे दिया गया। उस व्यक्ति के वर्दी के नेम प्लेट पर मुकेश पाण्डेय लिखा था वादी को उक्त व्यक्ति के फर्जी होने का संदेह हुआ।

जिसपर वादी द्वारा थाना निजामाबाद पर तहरीर दी गई प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 497/23 धारा 386 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा उपरोक्त घटना के सन्दर्भ में जनपदीय स्वाट टीम व थाने की टीम को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक-07.11.2023 को स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी, उपनिरीक्षक श्रीप्रकाश शुक्ला मय हमराह व उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह को रात्रि में फरिहा चौराहे पर सुरागरसी के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हुए मुकेश पाण्डेय नाम का नेम प्लेट लगाये हुये हैं फरीदाबाद तिराहे (आजमगढ़-शाहगंज मार्ग) पर आने जाने वाले वाहनो आदि को रोककर वाहन चालको को वर्दी का रौब दिखा कर डरा धमका कर पैसे की वसूली कर रहा है।

इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल फरीदाबाद तिराहे (आजमगढ़-शाहगंज मार्ग) पर घेराबंदी करके मौके से पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में मौजूद व्यक्ति से पूछताछ करने पर फर्जी इंस्पेक्टर के रूप पहचान सुनिश्चित कर हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अपना नाम मुकेश पाण्डेय पुत्र लल्लन पाण्डेय निवासी ग्राम कुसमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बताया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित होने की पुष्टि होने पर आज दिनांक 07.11.2023 को प्रातः करीब 04:10 बजे गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 419,420,467,468,471,171,411 IPC की वृद्धि की गई है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 497/23 धारा 419,420,467,468,471,171,411 IPC थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुकेश पाण्डेय पुत्र लल्लन पाण्डेय निवासी ग्राम कुसमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

एक वर्दी जिस पर छः स्टार

उ0प्र0 पुलिस का बैच

एक पी कैप

एक जोड़ी जूता रंग भूरा ,

एक परिचय पत्र,

दो मो0 फोन व दो हजार रुपये नकद

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 201/22 धारा 323/506 IPC थाना कप्तानगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी प्रभारी स्वाट प्रथम आजमगढ़

उपनिरीक्षक प्रकाश शुक्ला आजमगढ़

चौकी प्रभारी फरिहा उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी थाना निजामाबाद आजमगढ़

मुख्य आरक्षी सर्विलांस सेल यशवन्त कुमार सिंह आजमगढ़

मुख्य आरक्षी अमित सिंह स्वाट प्रथम आजमगढ़

मुख्य आरक्षी अभिमित तिवारी स्वाट 2 आजमगढ़

आरक्षी सुनील प्रजापति, का0 इन्द्रजीत पटेल व का0 रवि मोर्य थाना निजामाबाद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

आगामी त्योहारों के सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारी के साथ की मीटिंग

अपराध गोष्ठी में रैंकिंग के आधार पर सराहनीय कार्य करने वाले थानाप्रभारी किए गए पुरस्कृत

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री अनुराग आर्य द्वारा दिनांक-06.11.2023 की रात्रि में पुलिस लाईन्स सभागार आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरूण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी/शाखा प्रभारी के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में सभी थाना प्रभारियों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया:-

- ➔ विगत तीन वर्षीय तुलनात्मक अपराध आकड़ा/निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा ।
- ➔ थानों पर जनसुनवाई तथा लम्बित शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक यथाशीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
- ➔ गिरफ्तारी हेतु शेष पुरस्कार घोषित की समीक्षा तथा थाना / जनपद स्तर पर चिन्हित टाप-10 सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही ।
- ➔ विगत माह पेण्डिंग एनबीडब्लू तामीला ।
- ➔ हत्या/लूट/चोरी के अनावरण हेतु शेष अभियोगों की समीक्षा।
- ➔ एस०आर० के वांछित अभियुक्तों की समीक्षा ।
- ➔ थानों पर लम्बित समस्त विवेचनाओं, गैंगेस्टर के वांछित अभियुक्तों की समीक्षा ।
- ➔ आबकारी अधिनियम के मालों के निस्तारण के निमित्त प्रचलित अभियान तथा थाने के माल निस्तारण की समीक्षा ।
- ➔ आबकारी अधिनियम से संबंधित अभियुक्तों की सम्पत्ति जब्तीकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
- ➔ धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित अपहृत / अपहृता की बरामदगी की समीक्षा ।
- ➔ पशु तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
- ➔ अराजकतत्वों के विरुद्ध गुंडा, गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की जाए।
- ➔ गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की जाए।
- ➔ प्रतिदिन पैदल गस्त व वाहन चेकिंग किया जाए तथा त्योहारों के मद्देनजर भीड़ वाले बाजार व कस्बों में अनिवार्य रूप से पुलिस बल की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- ➔ आगामी त्योहारों के मद्देनजर स्थापित होने वाली प्रतिमा स्थल का भ्रमण कर आयोजकों से वार्ता कर कोई समस्या होने पर उनका समाधान कराया जाए।
- ➔ आतिशबाज़ी की दुकान व लाईसेंसधारी विक्रेताओं से वार्ता कर अग्निरोधक की उचित व्यवस्था की जांच कर लिया जाए।
- ➔ त्योहारों के दृष्टिगत बाजारों व कस्बों में PRV का लोकेशन फिक्स किया जाए।

तत्पश्चात थानों की मुल्यांकन प्रणाली के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारीगण को पुरस्कृत किया गया माह मार्च से जनपद में लागू की गई थाना मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई। इस प्रणाली कुल 30 बिंदुओं का समावेश कर उनपर अंक प्रदान कर थानों की रैंकिंग देने के लिए विकसित की गई है।

इसमें प्रार्थना पत्र, IGRS, FIR पंजीकरण, घटना अनावरण, अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंटी गिरफ्तारी, त्रिनेत्र एप्प में अपराधी का डाटा फीड करना, गुंडा एक्ट में कार्यवाही इत्यादि के धनात्मक अंक एवं आमजन से दुर्व्यवहार, भ्रस्टाचार की शिकायत, अपराधी के फरार रहने, समन तामील न करने इत्यादि के ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं।

प्रतिमाह 30 बिंदुओं की समीक्षा के उपरांत जिस थाने को सर्वाधिक अंक में प्राप्त होंगे वह माह का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया जाएगा।

अक्टूबर 2023 के विजेता

प्रथम स्थान - थाना प्रभारी मुबारकपुर राजेश कुमार व समस्त पुलिसकर्मी थाना मुबारकपुर।

द्वितीय स्थान - थानाध्यक्ष अहरौला सुनिल दूबे व समस्त पुलिसकर्मी थाना अहरौला।

तृतीय स्थान - थानाध्यक्ष निजामाबाद सच्चिदानंद यादव व समस्त पुलिसकर्मी थाना निजामाबाद।

माह अक्टूबर 2023 सर्वश्रेष्ठ के विवेचक उपनिरीक्षक योगेन्द्र प्रसाद को सर्वश्रेष्ठ विवेचना के पुरस्कृत किया गया। इनके द्वारा बिलरियागंज क्षेत्रांतर्गत टप्पेबाजी की घटना को वैज्ञानिक संसाधन के माध्यम पूर्ण करते हुए अभियुक्तों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त सभी को पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।